721

[2022] 1 एस. सी. आर 721

ए.

अमृतलाल

वी.

शांतिलाल सोनी और ओआरएस।

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 301) 28 फरवरी, 2022

बी.

[दिनेश माहेश्वरी और विक्रम नाथ**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:धारा 468-सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद संज्ञान पर रोक-सीमा अवधि की गणना के लिए प्रासंगिक तिथि यू/एस।468 – आयोजित किया गयाःक्या शिकायत दर्ज करने की तारीख या अभियोजन की स्थापना की तारीख है और वह तारीख नहीं है जिस पर मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेता है-तथ्यों पर, उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए गलती की कि संज्ञान लेने की तारीख मामले का निर्णायक है, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि वादी द्वारा लिखित शिकायत वास्तव में अपराध की तारीख के संदर्भ में 3 साल की सीमा की अवधि के भीतर दायर की गई थी-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।

सी.

डी.

पूर्ववर्ती-बाध्यकारी प्रभाव-आयोजितःइस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय पर विचाराधीन प्रावधानों की विभिन्न व्याख्याओं के बारे में कुछ सुझावों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है-इस न्यायालय के निर्णय का बाध्यकारी प्रभाव इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि किसी विशेष तर्क पर विचार किया गया था या नहीं, बशर्ते कि जिस बिंदु के संदर्भ में तर्क दिया गया है, वह वास्तव में उसमें तय किया गया था।

ई.

एफ.

अपील को स्वीकार करते हुए**,** न्यायालय ने कहाः**1.1** धारा **468** सी**.** आर**.** पी**.** सी**.** के तहत सीमा की अवधि की गणना करने के उद्देश्य से**,** प्रासंगिक तिथि शिकायत दर्ज करने की तारीख या अभियोजन की स्थापना की तारीख है न कि उस तारीख को जिस पर मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेता है।उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए एक मौलिक त्रुटि की है कि

संज्ञान लेने की तारीख यानी **04.12.2012** मामले के लिए निर्णायक है**,** जबकि इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि लिखित शिकायत वास्तव में अपीलार्थी द्वारा ए**.** की अवधि के भीतर दायर की गई थी।

जी.

एच.

721

722 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 1 एस. सी. आर.

अपराध करने की तारीख के संदर्भ में **3** साल की सीमा अर्थात **04.10.2009**।इस प्रकार**,** आक्षेपित आदेश को अलग कर दिया जाता है।**[**पैरा **7,10] [726-**सी**-**ई**; 727-**बी**]**

1.2 प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सारा मैथ्यू के मामले में इस आधार पर पुनर्विचार की आवश्यकता है कि इस न्यायालय द्वारा अध्याय **XXXVI** दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित कुछ कारकों पर विचार नहीं किया गया है।इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय पर विचाराधीन प्रावधानों की विभिन्न व्याख्याओं के बारे में कुछ सुझावों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।यह सामान्य बात है कि इस न्यायालय के किसी निर्णय का बाध्यकारी प्रभाव इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि किसी विशेष तर्क पर विचार किया गया था या नहीं**,** बशर्ते कि जिस बिंदु के संदर्भ में तर्क दिया गया है**,** वह वास्तव में उसमें तय किया गया था।यह इस तथ्य के अलावा है कि सारा मैथ्यू के मामले में निर्णय को नंगे पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय **XXXVI** से संबंधित हर प्रासंगिक पहलू को संविधान पीठ द्वारा आवश्यक विवरणों में विस्तृत किया गया है।एक आवश्यक परिणाम के रूप में**,** इस न्यायालय के अन्य निर्णय के संदर्भ में की गई प्रस्तुतियाँ**,** जो अपने स्वयं के तथ्यों पर आगे बढ़ीं**,** प्रत्यर्थीगणओं के लिए कोई उपयोगी नहीं हैं। प्रत्यर्थीगण की दलीलें खारिज कर दी जाती हैं।**[**पैरा **8,9] [726-**ई**-**एफ**; 726-**एफ**-**एच**; 727-**ए**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

सारा मैथ्यू बनाम हृदय संवहनी रोग संस्थान इसके निदेशक डॉ. के. एम. चेरियन और अन्य द्वारा। (2014) 2 एससीसी

62 :[2013] 12 एस**.** सी**.** आर**. 674-**अनुसरण किया गया।

पंजाब राज्य बनाम सरवन सिंह **(1981) 3** एससीसी **34:[1981] 3** एससीआर **349;** सोमवंती और ओआरएस**.** वी**.**राज्य की

एफ.

पंजाब और ओआरएस। ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 151:[1963] एस. सी. आर. 774-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2013] 12 एससीआर **674**

पीछा किया।

पैरा **8,9 [1981] 3** एस**.** सी**.** आर**. 349** पैरा **4 [1963]** एस**.** सी**.** आर**. 774** में निर्दिष्ट है।

जी.

संदर्भित किया गया है

पैरा **9** ए

एच.

723

अमृतलाल बनाम शांतिलाल सोनी और ओआरएस।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 301।

विविध क्षेत्रों में इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित 06.03.2019 के निर्णय और आदेश से।2018 का आपराधिक मामला No.26287 अर्जुन गर्ग, आकाश नंदोलिया, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

बी.

मुकुल सिंह, डी. ए. जी., दिव्यकांत लाहोटी, परीक्षित आहूजा, सुश्री प्रवीण बिष्ट, सुश्री मधुर झावर, सुश्री विंध्य मेहरा, कार्तिक लाहोटी, सुश्री शिवांगी मल्होत्रा, सनी चौधरी, रमेश ठाकुर, हर्ष पाराशर, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी.

दिनेश माहेश्वरी**,** जे**.**

अनुमति दी गई

वर्तमान अपील में चुनौती के तहत आदेश 2018 के विविध आपराधिक मामले संख्या 26287 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर की पीठ द्वारा पारित किया गया है।

डी.

आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 1 की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2017 के आपराधिक संशोधन संख्या 181 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खाचरोद, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है और साथ ही 2012 के आपराधिक मामले संख्या 619 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खाचरोद, जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश को भी रद्द कर दिया है। और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 और धारा 120-बी के साथ पठित धारा 406 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 2012 के उक्त आपराधिक मामले संख्या 619 में कार्यवाही को रद्द कर दिया है।अनावश्यक विवरणों के अभाव में, मामले के प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलू यह हैं कि 10.07.2012 पर, वर्तमान अपीलकर्ता ने पुलिस अधीक्षक, खाचरोड को एक लिखित शिकायत दर्ज की, जिसमें दावा किया गया कि उसने प्रत्यर्थी को 33.139 किलोग्राम चांदी सौंपी थी; और 04.10.2009 पर, मांग किए जाने पर, प्रत्यर्थी ने उसे वापस करने से इनकार कर दिया।अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार दर्ज की गई शिकायत पर, 2012 की संख्या 289 वाली एफ. आई. आर. दर्ज की गई और अनुसंधान के बाद, पुलिस ने अभियुक्त व्यक्तियों, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के खिलाफ उपरोक्त अपराधों के लिए दिनांक 1 का आरोप पत्र दायर किया।इसके बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, खाचरोड ने 04.12.2012 पर संज्ञान लिया।

ई.

एफ.

जी.

1 ‘सी. आर. पी. सी. 'संक्षेप में।2 ‘आई. पी. सी. 'संक्षेप में।

एच.

ए.

12.09.2013 पर, मजिस्ट्रेट ने आरोप तय करने का आदेश पारित किया।इस आदेश को अभियुक्त-प्रत्यर्थियों ने अन्य बातों के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के तहत

एक पुनरीक्षण याचिका (2013 की संख्या 288) में इस आधार पर चुनौती दी थी कि इस मामले में संज्ञान लेना सीमा द्वारा वर्जित था।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खाचरोड ने अभियुक्त-प्रत्यर्थियों द्वारा 27.07.2015 पर दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जबकि अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि मामले में सीमा का प्रतिबंध लागू नहीं था।इसके बाद, अभियुक्त-प्रत्यर्थियों ने निचली अदालत के समक्ष धारा 468 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें फिर से सीमा का सवाल उठाया गया।इस आवेदन को निचली अदालत ने 17.08.2017 पर खारिज कर दिया था।निचली अदालत द्वारा इस तरह से पारित आदेश की पुष्टि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खाचरोड ने 20.02.2018 पर पुनरीक्षण याचिका (2017 की संख्या 181) में की थी।हालाँकि, इस तरह के आदेशों को चुनौती दिए जाने पर, उच्च न्यायालय ने दिनांक 06.03.2019 के विवादित आदेश में यह राय बनाई है कि 04.12.2012 पर इस मामले का संज्ञान लेना सीमा द्वारा वर्जित था।इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को रद्द कर दिया है।उच्च न्यायालय के तर्क का योग और सार निम्नलिखित में देखा जा सकता हैः-

बी.

सी.

डी.

“19. उपरोक्त चर्चा पर संचयी विचार करने पर, इस न्यायालय का विचार है कि अपराध की तारीख वादी को बहुत अच्छी तरह से पता है अर्थात उसने कथित घटना के ढाई साल बाद यानी आईडी1 पर प्राथमिकी दर्ज की और पुलिस ने कथित घटना के तीन साल की अवधि के बाद आईडी2 पर आरोप पत्र दायर किया है, जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट ने आईडी2 पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया है, जिसे सीमा द्वारा वर्जित किया गया था, इसलिए, निचली अदालत के साथ-साथ पुनरीक्षण अदालत ने याचिकाकर्ताओं द्वारा अभियोजन पक्ष की स्थिरता के संबंध में दायर याचिका को खारिज करने में कानून की त्रुटि की है।”

ई.

एफ.

उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए, यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय का प्रस्ताव, सीमा के उद्देश्य से संज्ञान लेने की तारीख के आधार पर कार्यवाही में, कानून के अनुरूप नहीं है और सारा मैथ्यू बनाम संस्थान के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के सीधे विपरीत है।

जी.

हृदय संवहनी रोगों के निदेशक डॉ. के. एम. चेरियन और

ओआरएस.:(2014) 2 एससीसी 62.इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया है कि जब मजिस्ट्रेट ने कथित ए का संज्ञान लिया तो अभियोजन बनाए रखने योग्य नहीं था।

एच.

725

अमृतलाल बनाम शांतिलाल सोनी और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

04.12.2012 पर हुई घटना क्योंकि वादी द्वारा अपराध की तारीख 04.10.2009 होने का आरोप लगाया गया था।पंजाब राज्य बनाम सरवन सिंह (1981) 3 एस. सी. सी. 34 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया जाता है।यह तर्क देने का भी प्रयास किया गया है कि सारा मैथ्यू (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XXXVI के उद्देश्य से संबंधित कई पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है और इस न्यायालय ने सीमा प्रतिबंध से संबंधित प्रावधानों पर व्यापक रूप से विचार नहीं किया है।

बी.

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अध्ययन करने के बाद, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय का विवादित आदेश दरकिनार किया जाना चाहिए, क्योंकि यह संविधान पीठ द्वारा घोषित कानून के बिल्कुल विपरीत है।

सी.

सारा मैथ्यू के मामले में अदालत (ऊपर)।

सारा मैथ्यू में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने इस प्रकार दो प्रश्नों की जांच की:-

डी.

3. हमें कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं भेजे गए हैं।लेकिन, हमारी राय में, निम्नलिखित प्रश्न हमारे विचार के लिए उत्पन्न होते हैं:3.1.(i) क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के तहत सीमा की अवधि की गणना करने के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक तिथि शिकायत दर्ज करने की तारीख है या अभियोजन की स्थापना की तारीख है या क्या प्रासंगिक तिथि वह तारीख है जिस पर एक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेता है?

ई.

3.2.(ii) दो मामलों में से कौन सा मामला है अर्थात् कृष्ण पिल्लई [कृष्ण पिल्लई बनाम टी. ए. राजेंद्रन, 1990 सप एस. सी. सी. 121] या भारत

काले [भारत दामोदर काले बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2003) 8 एस. सी. सी. 559]

एफ.

(जापानी साहू [जापानी साहू बनाम चंद्रशेखर मोहंती, (2007) 7 एस. सी. सी. 394] में किसका अनुसरण किया गया है, सही कानून निर्धारित करता है?

संविधान पीठ ने उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया:-

जी.

51. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि धारा 468 सी. आर. पी. सी. के तहत सीमा की अवधि की गणना करने के उद्देश्य से प्रासंगिक तिथि शिकायत दर्ज करने की तारीख या अभियोजन की स्थापना की तारीख है न कि उस तारीख को जिस पर मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है।हम आगे मानते हैं कि भारत काले [भारत दामोदर काले बनाम ए. पी. राज्य, (2003) 8 एस. सी. सी. 559] जिसका अनुसरण किया जाता है

एच.

726 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 1 एस. सी. आर.

जापानी साहू [जापानी साहू बनाम चंद्रशेखर मोहंती,

(2007) 7 एस. सी. सी. 394] सही कानून निर्धारित करता है।कृष्ण पिल्लई [कृष्ण पिल्लई बनाम टी. ए. राजेंद्रन, 1990 सप्लीमेंट एस. सी. सी. 121:1990 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 646] को अपने स्वयं के तथ्यों तक ही सीमित रखना होगा और यह सवाल तय करने के लिए प्राधिकरण नहीं है कि धारा 468 सी. आर. पी. सी. के तहत सीमा की अवधि की गणना करने के उद्देश्य से प्रासंगिक तिथि क्या है।

बी.

(जोर दिया गया है) इसलिए, संविधान पीठ द्वारा कानून की घोषणा और घोषणा किसी भी संदेह को स्वीकार नहीं करती है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के तहत सीमा की अवधि की गणना करने के उद्देश्य से, प्रासंगिक तिथि शिकायत दर्ज करने की तारीख या अभियोजन की स्थापना की तारीख है, न कि उस तारीख को जिस पर मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेता है।उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए एक मौलिक त्रुटि की है कि संज्ञान लेने की तारीख यानी 04.12.2012 मामले में निर्णायक है, जबकि इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि लिखित शिकायत वास्तव में अपीलार्थी द्वारा 10.07.2012 पर दर्ज की गई थी,

अपराध की तारीख के संदर्भ में 3 साल की सीमा की अवधि के भीतर, यानी 04.10.2009।

सी.

डी.

इसके बजाय अति-उत्साही, यदि अति-साहसिक नहीं है, तो उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन करने का प्रयास करते हुए, प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रत्यर्थीगणओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि सारा मैथ्यू के मामले में इस आधार पर पुनर्विचार की आवश्यकता है कि अध्याय XXXVI दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित कुछ कारकों पर इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है।इस तरह के प्रयास को केवल खारिज किया गया है।

ई.

इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय पर विचाराधीन प्रावधानों की विभिन्न व्याख्याओं के बारे में कुछ सुझावों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।यह सामान्य बात है कि इस न्यायालय के किसी निर्णय का बाध्यकारी प्रभाव इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि किसी विशेष तर्क पर विचार किया गया था या नहीं, बशर्ते कि जिस बिंदु के संदर्भ में तर्क दिया गया है, वह वास्तव में उसमें तय किया गया था।यह इस तथ्य के अलावा है कि सारा मैथ्यू (उपरोक्त) में निर्णय को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XXXVI से संबंधित प्रत्येक प्रासंगिक पहलू को संविधान पीठ द्वारा आवश्यक विवरणों में विस्तृत किया गया है।एक आवश्यक परिणाम के रूप में, प्रस्तुतियाँ

एफ.

जी.

3 सोमवंती और ओ. आर. एस. वी.पंजाब राज्य और अन्यःए. आई. आर. 1963 एस. सी. 151 (पैरा 22)।

एच.

ए.

इस न्यायालय के अन्य निर्णय का संदर्भ, जो अपने स्वयं के तथ्यों पर आगे बढ़ा, प्रत्यर्थीगणओं के लिए कोई उपयोगी नहीं है।इस प्रकार, प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रत्यर्थीगणओं की ओर से की गई प्रस्तुतियाँ पूर्ण रूप से खारिज कर दी जाती हैं।यहाँ ऊपर जो देखा और चर्चा की गई है, उसके लिए इस अपील की अनुमति है।दिनांकित 06.03.2019 के विवादित आदेश को

दरकिनार कर दिया गया है और उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका, जो 2018 का विविध आपराधिक मामला संख्या 26287 है, खारिज कर दी गई है।

बी.

विचारण मजिस्ट्रेट अब शीघ्रता से विचारण के साथ आगे बढ़ेगा और उस मामले के लिए यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि अभियुक्त-प्रत्यर्थीगण की ओर से विचारण में देरी करने या बाधा डालने का कोई अन्य प्रयास किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट ऐसी दंडात्मक कार्यवाही अपनाने के लिए स्वतंत्र होगा जो आवश्यक हो, जिसमें अभियुक्त-प्रत्यर्थीगण को दी गई जमानत को रद्द करना या उन पर मामले में शामिल संपत्ति के वर्तमान मूल्य के बराबर मौद्रिक शर्तें डालना शामिल है।

सी.

पक्ष अपने संबंधित अधिवक्ता के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, खाचरोड, जिला उज्जैन के समक्ष 01.04.2022 पर उपस्थित होने के लिए नोटिस पर खड़े होंगे।

डी.

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

ई.

एफ.

जी.

एच.